

केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला... जाति जनगणना कराएगी सरकार

गन्ना का एमएसपी 355 रुपए प्रति क्विंटल घोषित

नई दिल्ली (एजेंसी)।

केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाएगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।

वैष्णव ने कहा कि कई राज्यों में की गई जाति जनगणना की कवायद अवैज्ञानिक है। एनडीए शासित बिहार सहित कई राज्य पहले ही जाति जनगणना के आंकड़े प्रकाशित कर चुके हैं। वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस सरकारें हमेशा से जाति जनगणना का विरोध करती रही हैं। 2010 में स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर मंत्रिमंडल में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है। इसके बावजूद, कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और

ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं। जबकि कुछ राज्यों ने यह काम अच्छे से किया है, वहीं कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों से समाज में संदेह पैदा होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वेक्षणों के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर बोलते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बेंचमार्क मूल्य है, जिससे नीचे इसे नहीं खरीदा जा सकता है।

सुचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। इसे हाईब्रिड एन्युटी मोड पर एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जायेगा। इस परियोजना के तहत मेघालय में 144.80 किलोमीटर और असम में 22 किलोमीटर हिस्सा आवेगा। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर गुवाहाटी से सिलचर तक जाने वाले यातायात के लिए सेवा स्तर में सुधार करेगा। इस

कॉरिडोर के विकास से मुख्य भूमि और गुवाहाटी से त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम के बराक घाटी क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा की दूरी और यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। यह गलियारा असम और मेघालय के बीच संपर्क में सुधार करेगा और मेघालय में उद्योगों के विकास सहित आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह मेघालय के सीमेंट और कोयला उत्पादन क्षेत्रों से होकर गुजरता है।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने... दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया : शाह

नई दिल्ली (एजेंसी)।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा है कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है।

अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हुई सीसीपीए की बैठक में, आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट ने जनगणना में जातिगत आधारित जनगणना को भी सम्मिलित कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

ये निर्णय आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई जातियों को मुख्य धारा में लाने तथा लंबे समय से अपने हक और अधिकार से अछूते लोगों को उनका सम्मान वापस लौटाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने लंबे समय तक जातियों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने तथा उन्हें वोट बैंक का साधन बनाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध किया है। सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने सदैव जाति जनगणना का विरोध किया, जिसका प्रमाण है कि स्वतंत्रता के बाद देश में आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है।

शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। शाह ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की।

इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और यह वर्गों की प्रगति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं,

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बदलाव राँ के पूर्व चीफ जोशी बने अध्यक्ष

नई दिल्ली (एजेंसी)।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पूर्व राँ प्रमुख आलोक जोशी को इस बोर्ड की कमान सौंपी गई है। आलोक जोशी को देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की गहरी

थी। इसके बाद 2015 से 2018 तक एनटीआरओ के चेयरमैन के रूप में भी सेवा दी। उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन्स को अंजाम देने में अहम भूमिका भी निभाई है। इसके अलावा बोर्ड में 7 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें तीन सेना से रिटायर अधिकारी, दो रिटायर आईपीएस अधिकारी और एक भारतीय विदेश सेवा से रिटायर अधिकारी हैं।

समझ और जानकारी है। उन्होंने 2012 से 2014 तक राँ के प्रमुख के रूप में कार्य किया

मोदी आज महाराष्ट्र, केरल और आन्ध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर जाएंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल से महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर जायेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार श्री मोदी गुरुवार को मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह केरल जाएंगे और शुक्रवार को विश्विजम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपपंज सीपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वह उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री बाद में आंध्र प्रदेश जाएंगे और अमरावती में 58,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का

मजबूत करने में उत्प्रेरक का काम करेगा। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज या अक्कि के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि यह दिन सफलता, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं।

राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सही कदम उठाएं प्रधानमंत्री: खड़गे

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से देश की भावनाओं को समझकर मौजूदा स्थिति में किसी भी कार्रवाई के लिए राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए देश की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द सही कदम उठाने का आग्रह किया।

ऋण धोखाधड़ी मामले में चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई की एक अदालत ने लगभग 55 करोड़ रुपये के केनरा बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ऋण धोखाधड़ी मामले में हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों डॉलर के ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी चोकसी को भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में 12

मगवान विष्णु के छठे अवतार

भगवान श्री परशुराम

जी के प्राकट्योत्सव एवं अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं

कालोनाइजर: पं. प्रमोद गोलू रिछारिया, संजय ड्राइव सागर

मा. शैलेंद्र जैन विधायक सागर

मा. अतिषेक मार्गट भाजपा नेता

श्रीमति प्रतिभा चौबे पूर्व पार्षद एवं एलडरमैन

आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)।

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आय से अधिक संपत्ति के मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन के मुख्य प्रधान सचिव केएम अब्राहम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस दीपाकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने अब्राहम द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीबीआई, केरल सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर अब्राहम की अपील में उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने को कहा है।

अब्राहम का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर

बसंत ने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर प्रक्रियात्मक रूप से अमान्य थी। बसंत ने अधिनियम की धारा 17ए का हवाला देकर अपने दावे का समर्थन किया, जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

करने से पहले सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। बसंत के अनुसार, अब्राहम के मामले में ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि अब्राहम के पास अपनी जात आय से अधिक संपत्ति है, जिसमें मुंबई में 3 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट, तिरुवनंतपुरम में 1 करोड़ रुपये का फ्लैट और कोल्लम में 8 करोड़ रुपये का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है।